



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 09.08.2024

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 01 अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद

दिनांक 09.08.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी लोनी बार्डर क्षेत्र से अवैध शस्त्र रखने वाले 02 अभियुक्तगण 1. बोबी उर्फ बोबी पहलवान पुत्र मंगलसिंह निवासी म0नं0 208, गली नं0 1 उत्तरांचल कालोनी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद, 2. अरविन्द पुत्र चन्दगीराम निवासी गली नं0 31 मीतनगर, पंवार डेरी के सामने रघुनन्दन के मकान में किरायेदार थाना ज्योतिनगर, दिल्ली मूल निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास मौजूद स्कूटी की डिग्गी से 01 अवैध पिस्टल 9MM बोर व 02 जिन्दा कारतूस 9MM बोर बरामद हुये तत्पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम दोनों दोस्त हैं हमने काफी समय पहले यह पिस्टल दिल्ली मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति से खरीदी थी जिसका नाम पता हमें मालूम नहीं है। हम अन्य लोगों पर रौब गांठने व अपने शौक के लिये इस पिस्टल को पास रखते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. बोबी उर्फ बोबी पहलवान पुत्र मंगलसिंह निवासी म0नं0 208, गली नं0 1 उत्तरांचल कालोनी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष
2. अरविन्द पुत्र चन्दगीराम निवासी गली नं0 31 मीतनगर, पंवार डेरी के सामने रघुनन्दन के मकान में किरायेदार थाना ज्योतिनगर, दिल्ली मूल निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर, उम्र 44 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

01 अवैध पिस्टल 9MM बोर व 02 जिन्दा कारतूस नाजायज 9MM बोर,

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

अभियुक्त बोबी उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बार्डर पर पूर्व से मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना लोनी बार्डर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 किलो 220 ग्राम अवैध

गांजा बरामद

आज दिनांक 09.08.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.आर्यन पुत्र स्व0 सुभाष निवासी सराय मौहल्ला सौंदा मिट्टी थाना मैडिकल जिला मेरठ उम्र 23 वर्ष, 2. प्रशांत त्यागी पुत्र स्व0 ज्ञानेश्वर त्यागी निवासी एल-1/252 श्रद्धापुरी फेस प्रथम जिटौली रोड थाना कंकरखेडा मेरठ उम्र 25 वर्ष मूल पता ग्राम निवाडी लाखो की पट्टी थाना निवाडी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 07 किलो 220 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग अवैध रूप से गांजा बेचकर अपने शौक पूरा करते हैं गांजे को हम लोग पुडिया बनाकर राह चलते नशा करने वाले व्यक्तियों को बेचते हैं। आज हम इस गांजे को बेचने के लिये हापुड की तरफ जा रहे थे कि आपने पकड़े लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभि0 का विवरण-

1.आर्यन पुत्र स्व0 सुभाष निवासी सराय मौहल्ला सौंदा मिट्टी थाना मैडिकल जिला मेरठ उम्र 23 वर्ष 2. प्रशांत त्यागी पुत्र स्व0ज्ञानेश्वर त्यागी निवासी एल-1/252 श्रद्धापुरी फेस प्रथम जिटौली रोड थाना कंकरखेडा मेरठ उम्र 25 वर्ष मूल पता ग्राम निवाडी लाखो की पट्टी थाना निवाडी गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध गांजा बरामद के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्तों के कब्जे से कुल 07 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद,

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा महिला से छेड़छाड़ के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.08.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्त रवि, हर्ष व अन्य अज्ञात निवासी पंचशील लोनी चिपियाना नोएडा द्वारा वादिया को गाडी में बैठाकर ले गये थे तथा अभियुक्तगण द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ कर जान मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से तत्काल 02 पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 09.08.24 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1. रवि पुत्र जतन सिंह यादव निवासी म0नं0 ए-4 चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष,

नेतिन कुमार पुत्र रमेश चन्द्र निवासी जतन सिंह यादव के मकान में किराये दार म0नं0 ए-4 चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष, 3. हर्ष चौधरी पुत्र प्रवेश चौधरी निवासी म0नं0 ए-14 पंचशील कॉलोनी चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष, 4. रोहित यादव पुत्र ओमवीर यादव निवासी कमला हॉल के पास बिहारीपुरा थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार का विवरण:-

गिरफ्तार करने पर अभियुक्त रवि ने बताया कि हम लोग उस महिला को पूर्व से ही जानते हैं। कुछ समय पहले वह महिला हमारे मकान में पंचशील कॉलोनी चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर में किराये पर रहती थी। मेरी समय समय पर उससे बात होती रही थी। दिनांक 05.08.2024 को हम लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गये थे तथा मैं उससे बातचीत कर रहा था उसका वह महिला विरोध कर रही थी जिस पर हम लोगो ने उसे धमकी भी दी थी। बाद में पता चला कि इस सम्बन्ध में गिरफ्तारी का पंजीकृत हो गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रवि पुत्र जतन सिंह यादव निवासी म0नं0 ए-4 चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष,
नेतिन कुमार पुत्र रमेश चन्द्र निवासी जतन सिंह यादव के मकान में किराये दार म0नं0 ए-4 चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष,
हर्ष चौधरी पुत्र प्रवेश चौधरी निवासी म0नं0 ए-14 पंचशील कॉलोनी चिपियाना रोड़ थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष,
रोहित यादव पुत्र ओमवीर यादव निवासी कमला हॉल के पास बिहारीपुरा थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

ना वेव सिटी पुलिस टीम

काकोरी ट्रेन एक्शन की 100 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन शहीदों की स्मृति में आज दिनांक 9/8/2024 को पुलिस लाइन्स, कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थित शहीद स्थल पर किया गया। उक्त शताब्दी महोत्सव मुख्य अतिथि श्री अतुल गर्ग, मा0 सांसद गाजियाबाद की उपस्थिति में आयोजित हुआ जिसमें मा0 मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गयी। तत्पश्चात मा0 मुख्य अतिथि द्वारा तिरंगे रंग के गुब्बारे उड़ाकर आयोजन का शुभारम्भ किया गया तथा पी0ए0सी0 पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रगान का वादन किया गया। मा0 मुख्य अतिथि द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/शहीदों के कुल 27 परिजनों को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। मा0 मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शहीदों की स्मृति में पुलिस लाइन्स में वृक्षारोपण किया गया। पुलिस मॉडर्न स्कूल पुलिस लाइन्स के बच्चों द्वारा शहीदों की स्मृति में प्रभात फेरी निकाली गयी।

शहीदों की स्मृति में मा0 मुख्य अतिथि द्वारा अपने सम्बोधन में देश को सर्वोपरि मानते हुये, राष्ट्रहित में कार्य करने की अपील की गयी। आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर गजियाबाद से पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय /अपराध, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा Clickindia के नाम पर आनलाईन टास्क देकर आनलाईन ठगी करने वाले दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लैपटॉप व मोबाईल बरामदा

दिनांक 31.07.24 को वादिया श्रीमती अलका कक्कड द्वारा थाना सिहानीगेट पर अपनी पुत्री के घर से कही चले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आये कि वादिया की पुत्री को ClickIndia.com के माध्यम से आनलाईन टास्क दिये जा रहे थे तथा टास्क नहीं करने पर डरा धमका कर रुपये लिये जा रहे थे। थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मुखबर की सूचना, सीसीटीवी फुटेज, लोकल इनपुट व सर्विलांस की मदद से अपहता को आनलाईन तरीके से डरा धमका कर पैसे हड़पने वाले दो शातिर अभियुक्तों 1. सुशान्त उर्फ श्याम 2. सौरभ को घटना में प्रयुक्त एक लैपटॉप व 05 मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुशान्त उर्फ श्याम सिंह पुत्र योगेन्द्र कुमार निवासी सी 5/47 यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली
2. सौरभ कुमार कपिल पुत्र पूरणचन्द निवासी बी 33 गंगा विहार गोकुलपुरी थाना गोकुलपुरी दिल्ली

पूछताछ का विवरण:-

1.सौरभ कुमार ने पूछने पर बताया कि मैं एमबीए पास हूँ Click India.com नाम की कम्पनी में 2019 से सेल्स एक्जिक्यूटिव के पद पर काम करता हूँ। Click India.com पर हम लोग इच्छुक लोगो को आईडी प्रोवाइड कराते है तथा बैंक अकाउन्ट 10 प्रतिशत कमीशन पर देते है। Click India.com पर आईडी बनाकर जो लोग हमारे सम्पर्क में आते है , उनको हम या हमारे साथी आनलाईन टास्क पूरा कराने के नाम पर फसा लेते है तथा बाद में टास्क पूरा न करने की बात कह कर उन पर मुकदमा लिखाने, जेल भेजने का डर दिखा कर दबाव बना कर अच्छा पैसा अपने अकाउन्ट में ट्रांसफर करा लेते है।

2.अभियुक्त सुशान्त उर्फ श्याम सिंह ने पूछने पर बताया कि मेरी दोस्ती कपिल से तीन चार वर्षों से है कपिल ने मुझे click India.com पर अपने काम के बारे में बताया था और मुझे बैंक अकाउन्ट देने पर 8 प्रतिशत कमीशन देने की बात कही थी इसलिये मैने अपने भाई लोकेश व उसके दोस्त चिराग के बैंक कपिल को दे दिये थे बैंक खाते का सिम व एटीएम अपने पास रखता था जब भी कोई व्यक्ति हमारे खाते में पैसा डालता था तो अपना कमीशन काट कर हम लोग उसको बाकी का पैसा उसके बैंक खाते में डाल देते थे

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त 05 मोबाईल तथा एक लैपटॉप

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम:-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा किराए पर कार लेकर कार का किराया न देने व कार को वापस न करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना से सम्बन्धित एक कार बरामद ।

दिनांक 31.05.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी केशव यादव पुत्र संजय कुमार यादव द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि गौरव के द्वारा मेरी कार किराए पर चलाने के लिए ली गई थी । अब ना तो गौरव कार के किराए के पैसे दे रहा है और ना ही कार दे रहा है । जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 09.08.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त गौरव कोहली पुत्र अरुण कुमार कोहली निवासी 1/6148 ईस्ट रोहताश नगर गली नम्बर 04 शाहदरा दिल्ली 110032 उम्र करीब 28 वर्ष को शिव चौक शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से घटना सम्बन्धित एक कार बरामद हुई है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव कोहली उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कार एक्सेंट मैंने माह दिसम्बर 2023 में केशव यादव निवासी शालीमार गार्डन से 23,000/- रुपये प्रति माह किराये पर ली थी । एक-दो महिने मैंने केशव यादव को किराया दिया था । बाद मैं मेरे मन में बेईमानी आ गयी थी और मैंने केशव यादव को कार का किराया नहीं दिया व कार वापस नहीं दी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

गौरव कोहली पुत्र अरुण कुमार कोहली निवासी 1/6148 ईस्ट रोहताश नगर गली नम्बर 04 शाहदरा दिल्ली 110032 उम्र करीब 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

- घटना से सम्बन्धित एक कार ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।